(54)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2017 निगरानी

PBR/निगरानी/देवास/भू.रा/2017/4785

श्री ए.आर. यादव अभि. द्वारा प्रस्तुत 22/11/17

1. घनश्याम पिता भागीरथ जी यादव,
2. मोहन पिता स्व. भागीरथ जी यादव

दोनों निवासीगण ग्राम बिचौली तहसील महू कृषक ग्राम बावड़िया तह. व जिला देवास

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल देवास
2. म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवास
3. कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी महोदय, देवास।
4. श्रीमती लक्ष्मीबाई पति स्व. अम्बाराम
5. हेमराज पिता स्व. अम्बाराम
6. जयप्रकाश पिता स्व. अम्बाराम
7. वर्षा पिता स्व. अम्बाराम
8. रानी पिता स्व. अम्बाराम

सभी निवासीगण बालगढ़, देवास म.प्र.

–– **अनावेदकगण**

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र.क्र. 851/2016–17 में आदेश दिनांक 03–10–2017 के विरूद्ध यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख बुलाये बगैर आदेश पारित करने में त्रुटि की है।
3. यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवधि के बिन्दु

...2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/देवास/भू.रा./2017/4785

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-6-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 3-10-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, देवास के आदेश दिनांक 17-10-2016 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 16-5-2017 को 40 दिवस पश्चात अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कोई समाधानकारक, कारण नहीं बताया गया है । इस सम्बन्ध में 1989 आर.एन. 243 गोदावरीबाई विरूद्ध विमलाबाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5--विलंब के लिए माफी देना–प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया–पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया–पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती ।" इसी प्रकार 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	